राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी विभाग
1.	अवमानना संख्या 05 / 2018 अपील संख्या 48 / 2013	पुष्पा अग्रवाल	1. श्री प्रेम जी पाटीदार, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा 2. श्री पी.सी. किशन, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
2.	अवमानना संख्या 06 / 2019 अपील संख्या 52 / 2013	विमला जैन	1. श्री धर्मेन्द्र जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा। 2. श्री ओम प्रकाश कसेरा, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3.	अवमानना संख्या 03 / 2020 अपील संख्या 966 / 2002	चंदा कटारा	1 श्री माव जी कांत, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (इंचार्ज), बांसवाड़ा। 2 श्री हिमांशु गुप्ता, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4.	अवमानना संख्या 25 / 2018 अपील संख्या 1030 / 2002	कमला जोशी	1. श्री प्रेम जी पाटीदार, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा। 2. श्री श्याम सिंह राजपुरोहित, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 3. श्री नरेश पाल गंगवाल, सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5.	अवमानना संख्या 37 / 2018 अपील संख्या 999 / 2002	श्रीमती मंजुला चौबीसा	
6.	अवमानना संख्या 48 / 2018 अपील संख्या 47 / 2013	श्रीमती लता शुक्ला	
7.	अवमानना संख्या 58 / 2018 अपील संख्या 50 / 2013	श्रीमती धनकुंवर जैन	
8.	अवमानना संख्या 59 / 2018 अपील संख्या 45 / 2013	श्रीमती रमिला दोषी	
9.	अवमानना संख्या 66 / 2018 अपील संख्या 936 / 2002	कांता जैन	
10.	अवमानना संख्या 103 / 2018 अपील संख्या 59 / 2013	जयश्री जैन	1. श्री बंशीलाल रोत (Rot), जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बांसवाड़ा। 2. श्री श्याम सिंह राजपुरोहित, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।

आदेश की दिनांक : 22.08.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री पी आर मेहता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अधिवक्ता

विभाग की ओर से : शम्मे फरोजा बतूल 'अंजुम', जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा

समक्ष : लेखराज तोसावडा सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित समस्त अवमानना याचिकाओं में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अवमानना याचिकाओं का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में अधिकरण के आदेश दिनांक 20.11.2013 के द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया :–

> *''उपर्युक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अधिकरण के मत में अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से वेतनमान पाने के अधिकारी है, अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को नियुक्ति तिथि से 9,18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे एवं तदानुसार वेतनस्थिरीकरण किया जावे, पालना 3 माह में की जावे। 3 माह में पालना नहीं करने पर 3 माह पश्चात् अपीलार्थी 9 प्रतिशत वार्षिक दर से बकाया राशि पर ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी होगी।''*

2. राजकीय विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि उपरोक्त प्रकरणों में माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में विभागीय कार्यवाही सम्पादित कर अपीलार्थी को देय राशि के बिल भुगतान हेतु राजकीय कोष में भिजवाये जा चुके है। इस प्रकार उक्त प्रकरणों में अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में समस्त कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है, अतः अवमानना प्रार्थना–पत्र अब कोई कार्यवाही विभाग द्वारा आपेक्षित नहीं है। अतः अवमानना प्रार्थना–पत्र की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

3. पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण अपील में अधिकरण का आदेश 19.07.2024 में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया गया था कि ''हम यह पाते है कि बजट राशि प्राप्त होने के बाद भी 2 माह व्यतीत होने के पश्चात् भी भुगतान की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि उक्त अधिकारी के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है, न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग को अधिकरण के आदेश की पालना हेतु अंतिम अवसर

प्रदान किया जाता है और निर्देश दिये जाते है कि अधिकरण के आदेश की पालना आवश्यक रूप से 1 माह में सुनिश्चित करे।''

4. इस आदेश की अनुपालना में विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है एवं अपीलार्थी को भुगतान योग्य राशि का बिल राजकीय कोष में भुगतान हेतु प्रेषित किया जा चुका है एवं विभाग द्वारा अब प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है, अतः अवमानना प्रार्थना–पत्र में वाछित कार्यवाही सम्पादित हो जाने के कारण निस्तारित किया जाता है एवं अवमानना की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। यदि अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष शेष रहता है तो अपीलार्थी को अलग से कार्यवाही/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की जाती है।

5. मूल आदेश अवमानना संख्या 05/2018 (अपील संख्या 48/2013 पुष्पा अग्रवाल बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य) में रखा जावे एवं इस आदेश की तालिका के क्रम संख्या 2 से 10 तक अवमानना की पत्रावली में इस आदेश की छायाप्रति संलग्नक की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य